९५

न्यायालय श्री मान् सदस्यमहोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिलारीवाम०प्र०

R. 5016-दो/15

363
28.8.15

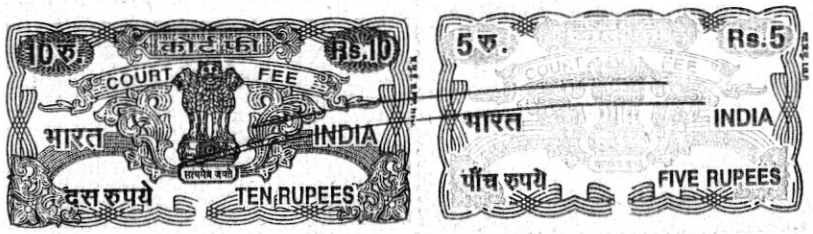

Rs. 15

रामसजीवन कुशवाहा तनय रामसिया कुशवाहा निवासी साव, तह०

हुजूर, जिलारीवाम०प्र० ------------ निगराकार

विरुद्ध

शासन म०प्र० ------ --------- गैरनिगराकार

श्री. रजनीश मिश्रा द्वारा आज दिनांक. 28.8.15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानीविरुद्ध आदेश श्रीराजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवादिनांक 15-12-14 बावत प्रकरणक्र० 54अ-12/14-15।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959

मान्यवर,
निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थन्यायालयका आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर स्थायी चिन्ह होते हुये भी स्थायी चिन्ह को आधार बनाकर सीमांकन नहीकिया और कोर स्थायी सीमा चिन्ह केमात्र नक्शे कीरेखा व खेत की अस्थायी "आर" को आधार बना कर जो सीमांकन की कार्यवाहीकिया है वह कतई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5016–दो/2015 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर जिला रीवा दारा प्रकरण क्रमांक 54 अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–12–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक के आवेदन पर उसके स्वामित्व की मौजा बहुरी बांध स्थित भूमि सर्वे कमांक 2ख 13/1, 17, 18/1, 8/2, 55/2, 56/1/5, 56/1 ग का हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 6–12–14 को सीमांकन किया है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 15–12–14 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह होते हुये भी स्थाई चिन्ह को आधार बनाकर सीमांकन नहीं किया गया है और वगैर स्थाई सीमा चिन्ह के मात्र नक्श की रेखा व खेत की अस्थाई 'आर' को आधार	

बनाकर गलत सीमांकन किया गया है जिसे निरस्त किया जाय।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब आवेदक स्वयं् के आवेदन पर एंव उसकी उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने दिनांक 6–12–14 को सीमांकन किया है एंव मौके पर किये गये सीमांकन से आवेदक सन्तुष्ट नहीं था, उसे तत्समय राजस्व निरीक्षक के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिये थी क्योंकि उसके समक्ष हुये सीमांकन की जानकारी उसे यथासमय रही है , जबकि राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 15–12–14 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में 8 माह से अधिक अवधि–वाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई है जो समयवाह्य है। यदि आवेदक राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई सीमांकन कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है तब उसे अधीक्षक भू अभिलेख से पुनः सीमांकन कराने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी समयवाह्य पाने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य